(2)

टी०ए०मिस० केस सं0 37/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
04/01/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक नारायण सावैयाँ, पिता– स्व० सिकुर सावैयाँ, निवासी ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फासिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– गितिलपी, थाना नं०– 580 के अन्दर खाता नं०– 289, प्लॉट नं०– 29, रकवा– 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता सुखमति गागराई, पिता– स्व० पिरू गागराई, ग्राम– बड़ाचिरू, थाना– मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। पिता के मृत्यु के पश्चात् प्राप्त हिस्से की भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 888, दिनांक– 30.12.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज करवाने एवं मकान निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता सुखमति गागराई, पिता– स्व० पिरू गागराई, ग्राम– बड़ाचिरू, थाना– मुफ्फासिल के पास 3,34,000.00/–(तीन लाख चौंतीस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फासिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक नारायण सावैयाँ, पिता– स्व० सिकुर सावैयाँ, निवासी ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फासिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने भूमि क्रेता सुखमति गागराई, पिता– स्व० पिरू गागराई, ग्राम– बड़ाचिरू, थाना– मुफ्फासिल के पास जमीन को 3,34,000.00/–(तीन लाख चौंतीस हजार) रूपये में मौजा– गितिलपी, थाना नं०– 580 के अन्दर खाता नं०– 289, प्लॉट नं०– 29, रकवा– 0.07½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित। (ह०) 4/1/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (ह०) 04/01/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner